

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए।

18/8/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी  
उपस्थित। बाद गौर पत्रावली  
अवलोकन व भनन बहस किया  
गया। प्रार्थना पत्र में चाहा गया  
अनुतोष राजस्थान भू-राजस्वअधि.  
की धारा 136 में दिया जाना उचित  
प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना  
पत्र प्रार्थी अस्वीकार। खारिज  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर  
से कम होकर जमा लेकर भण्डार हो

300